

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

पटना दिनांक... 26.03.18

संख्या:-05/स्था0 (DTO)-30/2013 (खण्ड-1) 2131 /सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-2359, दिनांक-19.02.2018 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु परिवहन विभाग में सेवा प्राप्त श्री संजय कुमार, बि0प्र0से0 को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या:-05/स्था0 (DTO)-30/2013 (खण्ड-1) 2132 /सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-2359, दिनांक-19.02.2018 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु परिवहन विभाग में सेवा प्राप्त मो0 जियाउल्लाह, बि0प्र0से0 को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या:-05/स्था0 (DTO)-30/2013 (खण्ड-1) 2133 /विभागीय अधिसूचना सं0-817, दिनांक-02.02.2018 द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी के कनीय वेतनमान के गैर संवर्गीय पद पर प्रोन्नत श्री सवल कुमार को अगले आदेश तक जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त नवपदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारियों को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रदान की जाती है।

3. उपर्युक्त नवपदस्थापित जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे नवपदस्थापन वाले पद का प्रभार अविलम्ब ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विनय कुमार राय)
सरकार के उप सचिव